


फर्द अहकाम

प्रभुनारायण बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या: 195/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.07.2024	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को पेश है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम गोपालपुरा के गत ख.न. 319 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ग्यारसा वल्द नौला कौम मेहरा सा. देवरी के नाम दर्ज था। तत्पश्चात् ग्यासीलाल उर्फ ग्यारसा पुत्र नौलाराम जाति मेहरा निवासी देवरी तहसील सांगानेर द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 08.07.1980 को अपने पौत्र प्रभुनारायण पुत्र रामचन्द्र के पक्ष में सम्पादित किया। उक्त वसीयतनामा के आधार पर सहायक भू प्रबंध अधिकारी सांगानेर द्वारा मिसल न. 62/95 दिनांक 18/04/1985 को ग्यारसा पुत्र नौला के बजाय प्रभुनारायण पुत्र रामचन्द्र के पक्ष में फैसला किया परन्तु भू प्रबंध प्रक्रिया के दौरान पर्चा लगान के बख्त गत ख.न. 319 के हाल ख.न. 336 रखबा 0.39 हैक्टेयर में प्रभुनारायण पुत्र रामचन्द्र की जाति मेहरा के बजाय मेहत्तर हो गई। श्रीमान् जी ग्राम गोपालपुरा में अन्य खसरा संख्या 331 वगैरह में प्रार्थी की जाति मेहरा दर्ज रिकार्ड है। उक्त हाल ख.न. 336 में भूलवश जाति मेहरा के बजाय मेहत्तर कर दिया गया है जिसे शुद्ध कर पुनः मेहरा जाति दर्ज करने की कृपा।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थन में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।</p> <p>बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को ग्राम गोपालपुरा तहसील सांगानेर में स्थित ख.न. 336 रखबा 0.39 हैक्टेयर में प्रार्थी की जाति मेहत्तर की जगह मेहरा किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर (सांगानेर)

